



सत्यमेव जयते

आयुक्त का कार्यालय  
Office of the Commissioner

केंद्रीय जीएसटी, अपील अहमदाबाद आयुक्तालय  
Central GST, Appeal Ahmedabad Commissionerate  
जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी अहमदाबाद ३८००१५.  
GST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad 380015  
Phone: 079-26305065 Fax: 079-26305136  
E-Mail : commrappl1-cexamd@nic.in



F.No.: GAPPL/RTI/38/2022-APPEAL

Date:05-08-2022

सेवामें,  
श्री सुमरा जीतूभाई जे,  
अकवाडा गुरुकुल के सामने,  
गीतनगर सोसायटी, प्लॉट नंबर 295,  
घोघा रोड, भावनगर - 364002

विषय: सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.), अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री सुमरा जीतूभाई जे द्वारा दाखिल किया गया आवेदन संबंधी

सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.), अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके द्वारा दाखिल किया गया आवेदन धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय को दिनांक 20.07.2022 अंतरित किया गया है।

2. उपरोक्त विषय आरटीआई आवेदन के लिए सीजीएसटी अपील आयुक्तालय अहमदाबाद के लिए बिंदुवार उत्तर निम्नानुसार है:-

1	(I) प्राधिकारी की शक्ति के लिए मांगी गई जानकारी के लिए, निम्नलिखित पत्रों का संदर्भ लें:- 7. संयुक्त निदेशक (EMC), डीजीएचआरडी, सीबीआईसी, नई दिल्ली द्वारा जारी फाइल सं.EMC/ExpM/BDGT/MISC/38/2021-EMS-O/o Pr ADG-EMC-DGHRD –Delhi दिनांक 28.09.2021; और 8. फाइल नंबर:14/02/2021-IFU(B&A)DT-02 दिनांक 28.09.2021, उपसचिव, Finance/DT, नई दिल्ली द्वारा जारी। (II) कृपया संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 07.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या OM No. 2/512017/E-II(B) के अनुलग्नक का संदर्भ लें।	
2	मांगी गई जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित पत्रों का संदर्भ लें I. फाइल नंबर F.No.14/04/2021-IFU(B&A)DT-01 दिनांक 28.09.2021 उपसचिव, Finance/DT, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया और; II. भारत सरकार के अवर सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र फाइल संख्या F.No. C-30013/255/2008-Ad.IV-A दिनांक 27 जुलाई, 2011द्वारा जारी दिशा निर्देश।	प्रतिलिपियां संलग्न
3	मांगी गई जानकारी के लिए, भारत सरकार, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के अवर सचिव द्वारा जारी पत्र फाइल संख्या C-30013/255/2008-Ad.IV-A दिनांक 27 जुलाई, 2011द्वारा जारी दिशा-निर्देशदेखें।	
4	मांगी गई जानकारी के लिए, क्षेत्राधिकार के उद्देश्य के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 का संदर्भ लें।	

इस आदेश द्वारा असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत इसआदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के अंदर श्री मिहिर गांडाभाई रायका, संयुक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, अहमदाबाद, सातवीं मंजिल, केंद्रीय जी.एस.टी. भवन, राजस्व मार्ग,

अंबावाडी, अहमदाबाद-३८००१५ के समक्ष अपील दाखिल करे।

Any person aggrieved by this Order may file an appeal under section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005 within thirty days from the date of receipt of this order to Shri Mihir Gandabhai Raika, Joint Commissioner (Appeals), Central GST, Ahmedabad, 7<sup>th</sup> floor, Central GST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad-380015.

भवदीय

BIPPAN KUMAR SHARMA  
ASSISTANT COMMISSIONER

संलग्न:- ऊपरोक्त अनुसार।